UPMI010038512022

न्यायालय Spl. Judge E.C.Act Court No.04, Mirzapur

पीठासीन अधिकारी– (SRI JEETENDRA MISHRA), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06300**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1825 सन् 2022

दुर्गेश सेठ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0 134 सन् 2022

धारा–411,414,413,420,467, 468, 471,34भा0दं0सं0

थाना–अदलहाट, जिला मिर्जापुर।

प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता–श्री मनोज कुमार यादव

राज्य की ओर से– श्री काशीनाथ दुबे, सहा0जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)

17.11.2022

आवेदक/अभियुक्त दुर्गेश सेठ पुत्र राधेश्याम, निवासी धुपचण्डी, लोवर कोलोनी, थाना जैतापुर, जनपद वाराणसी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–83/2022 अन्तर्गत धारा–411,414,413,420,467, 468, 471,34 भा0दं0सं0 पुलिस थाना अदलहाट, जिला मीरजापुर जिला मीरजापुर के अपराध में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के समर्थन मे लक्ष्मी देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय एवम अन्य न्यायालय मे विचाराधीन नही है।

प्रकरण में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रभारी निरीक्षक/वादी मुकदमा विजय कुमार चौरसिया मय हमराही दिनांक 04.08.2022 को सरकारी वाहन संख्या–यू0पी063जी 0440 से आगामी मोहर्रम के दृष्टिगत कुछ ताजियों के रूट हाईवे बन जाने के कारण नये रूट का निर्धारण के बावत सम्बन्धित ताजियोंदारों से बातचीत कर रहा था कि मुखबिर द्वारा मौके पर आकर बताया गया कि वाराणसी के कुछ शातिर चोर जो वाराणसी व नरायनपुर के आस पास घूम फिर कर चोरी व वाहन चोरी को अंजाम देते हैं, कुछ समय बाद चोरी की मोटर साइकिल के साथ जिवनाथपुर की ओर से अचितपुर होते हुए नरायनपुर आने वाले हैं। इन्हें मुख्य हाईवे पर रोकना मुश्किल है, यदि अचितपुर से जिवनाथपुर जाने वाली सिंक रोड पर ही घेरा बन्दी कर पकड़ा जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके मौके पर थाना क्षेत्र के वरिष्ठ उप निरीक्षक वंश नरायन मय हमराही के निजी वाहन व सरकारी वाहन से जिवनाथपुर सिंक रोड पर स्थित पुरैनी मोड पुलिया के पास बनी बाउन्ड्री वाल की आड़ में जिवनाथपुर की ओर से आने वाले चोरों का इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् जिवनाथपुर की ओर से तीन मोटर साइकिलों पर सवार कुछ युवक दिखायी दिये और नजदीक आने पर रोकने का प्रयास किये, जिनमें से दो मोटर साइकिल पर सवार कुल तीन व्यक्ति तत्काल मोके पर पकड़ लिये गये, किन्तु पीछे वाला एक मोटर साइकिल पर सवार पुलिस वालों को वर्दी में देख मोटर साइकिल को फिल्मी अंदाज में तेज गति से पीछे मुड़कर पुनः जिवनाथपुर की ओर भागने लगा, जिनका दौड़ कर व ललकार कर पीछा किया, किन्तु मोटर साइकिल को अत्यन्त तेज गति से चलाकर भागने में सफल रहा। उक्त मोटर साइकिल का पीछे का नम्बर प्लेट देखा गया तो उस पर यू0पी065ईए9793 अंकित था,

पकड़े गये दो मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों को क्रमशः नाम पता पूँछा गया तो भागने वाले अपने साथ का नाम अर्जुन वर्मा बताया तथा मोटर साइकिल संख्या–यू0पी067वी 2312 पर सवार एक व्यक्ति ने अपना नाम मोहित चौरसिया व दसरी मोटर साइकिल संख्या–यू0पी065केटी1222 पर आगे बैठा व्यक्ति ने अपना नाम दुर्गेश सेठ तथा इसी मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बादल रावत बताया। पीछे मुड़कर भागने वाले व्यक्ति के बारे में कड़ाई से पूँछने पर बताया गया कि भागने वाला अर्जुन वर्मा हम लोगों का साथ व ग्रूप का अगुवा है। सभी लोग एक साथ वाराणसी व नरायनपुर के क्षेत्र में घूम फिर कर मुख्य रूप से मोटर साइकिल चोरी करते हैं व चोरी की मोटर साइकिलों को एकत्र कर एक साथ कई मोटर साइकिल को ग्राहक ढूढकर बेच देते हैं। यह काम हम सभी अर्जुन सेठ की अगुवाई व देखरेख में करते हैं। चोरी की मोटर साइकिल बेचने से जो रूपया मिलता है, उसे लोग आपस में बांट कर अपना खर्च चलाते हैं। चोरी की गयी अधिकांश मोटर साइकिलों का पहचान छुपाने व धोखा देने के लिए या तो गलत रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लिखकर लगा दते हैं या नम्बर प्लेट को उतार दते हैं। तथा मोटर साइकिल के इंजन व चेचिस संख्या भी खरोच देते हैं। तीनों व्यक्तियों के निशादेही पर चोरी की 9 मोटर साइकिले जो झाड़ी में छिपाकर रखे थे, बरामद की गयी। इस प्रकार फर्द के अनुसार अभियुक्तगण के कब्जे से 11 मोटर साइकिल बरामद की गयी है। फर्द के आधार पर अभियुक्तगण अर्जुन वर्मा, मोहित चौरसिया, दुर्गेश सेठ तथा बादल रावत के विरूद्व मु0अ0सं0–134/2022 धारा–411,414,413,420,467,468, 471,34 भा0दं0सं0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त दुर्गेश सेठ का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.09.2022 को निरस्त किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने न ते कोई मोटरसाइकिल चुरायी है और न ही उसके पास से कोई मोटरसाइकिल बरामद हुयी है और न ही उसके द्वारा कोई छल कपट व धोखाधड़ी ही किया गया है। प्रार्थी पेशे से ड्राइवर है, ड्राइवरी करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यह भी कहा गया है कि थाना अदलहाट की पुलिस प्रार्थी को घर से पकड़कर ले आयी और तीन दिन थाने पर बैठाने के पश्चात् फर्जी बरामदगी दिखाकर गलत एवं झूठे मुकदमें में चालान कर दिया। यह भी कहा गया कि प्रार्थी का उक्त कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई है और उसके नम्बर प्लेट व इजन व चेचिस नम्बर में छेड़छाड़ कर कूट रचित प्रपत्र तैयार किये गये हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि पूर्व में मु.अ.सं. 134/2022 अन्तर्गत धारा–411,414,413,420,467,468,471,34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ था।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और अभी तक बरामद शुदा मोटर साइकिल को किसी चोरी के अपराध से कनेक्ट नहीं किया जा सका है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त का दौरान विचारण सहयोग न किये जाने का मत बनाया जा सके तथा अभियोजन यह भी स्थापित नहीं कर सका है कि अभियुक्त किस प्रकार से साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 05.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक इतिहास अभियोजन आख्या के अनुसार दृष्टिगत नहीं हुआ है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व किये गये अभिकथनों, उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य, अपराध की गम्भीरता, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, परिस्थितियॉ जो अभियुक्त के सम्बन्ध में विशिष्ट है, अभियुक्त का दौरान विचारण उपस्थित रहने की सम्भावना, अभियुक्त के द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की आशंका, व्यापक लोकहित के दृष्टिगत तथा प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के गुण–दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त दुर्गेश सेठ द्वारा 50,000/–रू0 (अंकन–पचास हजार रूपया) का स्वबन्धपत्र और इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू विश्वसनीय, सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

(जितेन्द्र मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश,ई0सी0एक्ट
कक्ष सं0–04,मीरजापुर।